न्यायालय राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड़, देहरादून।

निगरानी संख्या–153/2013–14 अन्तर्गत धारा–333 ज0वि0 एवं भूमि व्य0 अधिनियम

1. नेकीराम पुत्र मंगन सिंह निवासी ग्राम मानकपुर, आदमपुर, परगना भगवानपुर, तहसील रूड़की जिला हरिद्वार।

–बनाम–

1.उत्तराखण्ड सरकार द्वारा कलेक्टर, हरिद्वार 2. पप्पू 3. रविन्द्र पुत्रगण स्व0 राम सिंह, निवासीगण ग्राम मानकपुर आदमपुर, परगना भगवानपुर, तहसील रूड़की जिला हरिद्वार

उपस्थिति : श्री एस0 रामास्वामी, आई0ए0एस0, अध्यक्ष।

अधिवक्ता निगरानीकर्ता : श्री पी0के0 गर्ग।

अधिवक्तागण उत्तरदाता : श्री विनोद कुमार डिमरी, जिला शास0अधि0(रा0)

बावत

मौजा मानकपुर आदमपुर, परगना रूड़की
तहसील रूड़की, जिला हरिद्वार।

निर्णय

यह निगरानी निगरानीकर्ता उपरोक्त ने कलेक्टर, हरिद्वार द्वारा वाद संख्या–34/2013–14 अन्तर्गत धारा–157कक/266/167 जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्थ अधिनियम सरकार बनाम नेकीराम आदि में पारित निर्णयादेश दिनांक 23–06–2014 विरूद्व प्रस्तुत की गई है।

वाद का संक्षिप्त विवरण निम्नवत है :–

विवादित भूमि खसरा नम्बर 565/1 रकबई 0.266है0 स्थित मौजा मानकपुर आदमपुर जो ग्रामसभा सम्पत्ति थी का आवंटन प्रतिवादी राम सिंह को किया गया था। रामसिंह को धारा 131ख ज0वि0अधि0 के अन्तर्गत संक्रमणीय भूमिधर के अधिकार प्राप्त हो गये थे। राम सिंह ने दिनांक 08–09–98 को प्रश्नगत सम्पत्ति निगरानीकर्ता नेकीराम पुत्र मगन सिंह के पक्ष में विक्रय कर दी थी। प्रश्नगत सम्पत्ति पूर्व चकबन्दी में नवीन प्रति अंकित थी तथा 1403 फसली में खाता संख्या 117 पर सुखपाल पुत्र झुमका व शीशपाल व राम सिंह पुत्र रूला के नाम संक्रमणीय भूमिधर के रूप में अंकित थी तथा चकबन्दी अधिकारी ने आदेश के द्वारा खसरा संख्या 565 मिन0 का क्षेत्रफल 0.266है0 के स्थान पर 0.240 है0 दर्ज किया। राम सिंह द्वारा अपना 1/2 भाग निगरानीकर्ता को विक्रय कर दिया। विक्रय पत्र दिनांक 08–09–98 के आधार पर कागजात में निगरानीकर्ता का नाम दर्ज हो गया तथा ग्राम में चकबन्दी का कार्य सम्पन्न होकर गाटा संख्या–565 के स्थान पर गाटा संख्या– 1315 मिन0 रकबा 0.1170है0 तनहा निगरानीकर्ता नेकीराम पुत्र मगन सिंह के नाम प्रविष्ट किया गया। वादी उत्तरांचल सरकार द्वारा वाद निगरानीकर्ता व राम सिंह के विरूद्व अन्तर्गत धारा

157कक / 166 / 167 दिनांक 22–12–2004 को प्रस्तुत किया गया है जो 6 वर्ष की अवधि व्यतीत होने के बाद प्रस्तुत किया गया है अगर कोई अवैधानिक अन्तरण है तो उसको निरस्त कराने की अवधि 6 वर्ष है तथा ग्राम में चकबन्दी प्रकरण के दौरान उक्त बैनामे को नियमानुसार सही मानते हुए निगरानीकर्ता का नाम राम सिंह पुत्र रूला के स्थान पर नियमानुसार दर्ज किया गया तथा निगरानीकर्ता का अलग चक प्रविष्ट किया गया। सरकार की ओर से चकबन्दी में कोई आपत्ति नहीं की गई इस प्रकार वाद चकबन्दी से बाधित है। अनुसूचित जाति के व्यक्ति के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति को विक्रय, दान, बन्धक या पट्टा द्वारा भूमि को अन्तरित करने का अधिकार नहीं होगा इससे भी स्पष्ट है कि निगरानीकर्ता जो अनुसूचित जाति से सम्बन्धित जाति का व्यक्ति है को धारा 157कक में अनुमति की आवश्यकता नहीं है। अपने कथनों के समर्थन में विद्वान अधिवक्ता निगरानीकर्ता ने ए0डब्लू0सी0 2008(1) पृष्ठ 165 महावीर सिंह बनाम सुभाष व अन्य मा0 सर्वोच्च न्यायालय, आर0एल0टी0 2015 पृष्ठ 329 जयराम सिंह बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की विधिक व्यवस्थायें भी प्रस्तुत की गई।

राज्य सरकार की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता(राजस्व) का तर्क है कि निगरानीकर्ता ने बैनामे से पूर्व विवादित भूमि को विक्रय करने के लिए सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी से धारा 157कक जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम के अन्तर्गत अनुमति प्राप्त नहीं की क्योंकि विवादित भूमि पट्टे के द्वारा प्राप्त हुई थी .। धारा–157कक का उल्लघंन होने पर बैनामा दिनांक 08–09–98 धारा–166 जमींदारी विनाश अधिनियम के अनुसार शून्य है तथा धारा–167 जमींदारी विनाश अधिनियम के अनुसार विवादित भूमि बिना भार के दिनांक 23–06–2014 से राज्य सरकार में निहित हो चुकी है। निगरानी निरस्त होने योग्य है।

इस प्रकरण में यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि के विक्रेता एवं क्रेता दोनों ही अनुसूचित जाति के व्यक्ति हैं और यह तथ्य सभी पक्षों को मान्य है। विद्वान कलेक्टर, हरिद्वार ने अपने निर्णयादेश दिनांक 23–06–2014 से वादग्रस्त भूमि के विक्रय से पूर्व अनुमति प्राप्त न किए जाने के कारण जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा–157कक का उल्लघंन मानते हुए प्रश्नगत भूमि को जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा–166 / 167 के अन्तर्गत राज्य सरकार में निहित किए जाने के आदेश पारित किए गए। जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा–157क एवं 157कक में यह वर्णित है कि :–

"157–क. अनुसूचित जातियों के सदस्यों द्वारा भूमि के अन्तरण पर प्रतिबन्ध– (1) धारा 153 से 157 में उल्लिखित प्रतिबन्धों की प्रतिकूलता के बिना, कोई भूमिधर या असामी, जो अनुसूचित जाति का है, कलेक्टर की पूर्व स्वीकृति के बिना अनुसूचित जाति के सदस्य के अलावा अन्य व्यक्ति को किसी भूमि के विक्रय, दान, बन्धक अथवा पट्टा द्वारा अन्तरण का अधिकार नहीं रखेगा।"

धारा–157–कक. धारा 131–ख के अधीन भूमिधर होने पर अनुसूचित जाति के सदस्यों द्वारा अन्तरण पर निर्बन्धन–(1) धारा 157–क में किसी बात के होते हुए और धारा 153 से 157 में दिए गए प्रतिबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव ड़ाले बिना, किसी अनुसूचित जाति के किसी व्यक्ति को, जो धारा–131–ख के अधीन भूमिधर हुआ है, किसी अनुसूचित जाति के व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति को विक्रय, दान, बन्धक या पट्टे पर भूमि अन्तरित करने का अधिकार नहीं होगा, और ऐसा अन्तरण, यदि कोई हो, निम्नलिखित अधिमान के क्रम में होगा:

(क) भूमिहीन खेतिहर मजदूर,

(ख) सीमान्त कृषक,

(ग) लघु कृषक

(घ) खण्ड (क), (ख) और (ग) में निर्दिष्ट व्यक्ति से भिन्न कोई व्यक्ति।

उपरोक्त वर्णित व्यवस्था के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि जमींदारी विनाश अधिनियम की उपरोक्त धारा–157कक में ''अनुसूचित जाति के सदस्य के अलावा अन्य व्यक्ति'' का उल्लेख है जिसका तात्पर्य यह है कि यदि अनुसूचित जाति का व्यक्ति किसी अनुसूचित जाति के व्यक्ति को भूमि हस्तान्तरण करता है तो उसे अनुमति की आवश्यकता नहीं है।

इस प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता निगरानीकर्ता की ओर से प्रस्तुत विधिक व्यवस्था आर0एल0टी0 2015 पृष्ठ–329 रामे बनाम स्टेट आफ यू0पी0 में मा0 इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा भी यह सिद्वान्त प्रतिपादित किया गया है कि– '' जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950, धारा–166/167, 157–कक–विक्रय–पत्र को निरस्त करना–कलेक्टर की आज्ञा की पूर्व में आवश्यकता–याची ने कलेक्टर द्वारा पारित आदेश को चुनौती दी–याची ने एक विक्रय–पत्र निर्गत किया–दोनों पक्ष विक्रेता एवं क्रेता अनुसूचित जाति के थे–प्रश्न यह कि क्या ऐसे हस्तान्तरण में धारा–157–कक के अधीन कलेक्टर की पूर्व अनुमति की आवश्यकता है ?–धारित किया गया कि चूँकि विक्रय–पत्र में दोनों पक्ष अनुसूचित जाति के हैं, अतः विक्रय–पत्र निर्गत करने से पूर्व कलेक्टर की अनुमति की आवश्यकता नहीं है–उल्लेखित आदेश अवैध है अतः निरस्त किया जाता है–अपील स्वीकृत की जाती है।

अतः इस प्रकरण में भी उपरोक्त विधिक व्यवस्था सटीक बैठती हैं और यह स्पष्ट है कि क्रेता एवं विक्रेता दोनों अनुसूचित जाति के सदस्य हैं, अतः उन्हें विक्रय पत्र निर्गत करने से पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं थी।

अतः उपरोक्त विवेचना एवं विधिक व्यवस्थाओं के आलोक में निगरानी बलयुक्त होने के कारण स्वीकार होने एवं अधीनस्थ न्यायालय का निर्णयादेश अपास्त होने योग्य है।

आदेश

बलयुक्त होने के कारण निगरानी स्वीकार की जाती है तथा विद्वान कलेक्टर, हरिद्वार द्वारा पारित निर्णयादेश दिनांक 23–06–2014 अपास्त किया जाता है। अवर न्यायालय की वाद पत्रावलियाँ वापस तथा इस न्यायालय की पत्रावली सँचित हों।

(एस0 रामास्वामी)
अध्यक्ष।

आज दिनांक 03/11/16 को खुले न्यायालय में उद्घोषित, हस्ताक्षरित एवं दिनांकित।

(एस0 रामास्वामी)
अध्यक्ष।